

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के लिए श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक (प्र०) को लोक सूचना पदाधिकारी पदाविहित किया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
3. पदाविहित पदाधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे ।
4. पूर्व में निर्गत आदेश सं०-2379 दिनांक-08.10.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
5. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह०।-

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

जापांक - वि० प्रा० (I) व²-33/2005 (अंश)-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, विपार्ट, बाल्मी, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०।-

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

जापांक - वि० प्रा० (I) व²-33/2005 (अंश)-

680 पटना, दिनांक- 5-3-2014

प्रतिलिपि - श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक (प्र०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/सभी पदाधिकारी/सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

✓आई० टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

ह०।-
निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना ।

ह०।-
4/3/14